

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी
क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण
या प्रधान शिर्षांतर्गत अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी
वितरीत करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
महिला व बाल विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२५/प्र.क्र.२३/का-०४
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक :- ३० ऑक्टोबर, २०२५

संदर्भ :- १) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र.मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का.७ दि.५ एप्रिल, २००३,
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०७. एप्रिल, २०२५,
३) शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२५/प्र.क्र.२३/का-०४, दि. २४ सप्टेंबर, २०२५.

शासन निर्णय :-

राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि सनियंत्रण प्रणालीवर तरतूद उपलब्ध केली आहे. या शासन निर्णयाद्वारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (२) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹१६३४४.०६लक्ष मधून ₹११४४.०७ लक्ष (अक्षरी अकरा कोटी चव्वेचाळीस लक्ष सात हजार फक्त) इतका निधी खालील तपशिलाप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे.

(रुपये हजारात)

| अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पीय तरतूद | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित वितरण |
|--------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| | २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाज कल्याण, ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय | | | |
| १ | (०१) (०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) (२२३५-२०७२) | | | |
| | ०१, वेतन | ५००००० | २८०००० | ३५००० |
| | एकूण (०१) (०१) | ५००००० | २८०००० | ३५००० |
| २ | (०१) (०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) | | | |

| अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पीय तरतुद | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित वितरण |
|--------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| | (अनिवार्य) (२२३५-२३२१) | | | |
| | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) | १४५२७९ | ८१३५६ | १०१६९ |
| | एकूण (०१) (०३) | १४५२७९ | ८१३५६ | १०१६९ |
| | एकूण (०१) | ६४५२७९ | ३६१३५६ | ४५१६९ |
| | एकूण ००१ | ६४५२७९ | ३६१३५६ | ४५१६९ |
| | १०२, बाल कल्याण ०१, बालक समृद्धी योजना | | | |
| ३ | (०१) (०४) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे. (अनिवार्य) (२२३५-३०३२) | | | |
| | ०१, वेतन | ५६६६१ | ३१७३० | ३९६६ |
| | एकूण (०१) (०४) | ५६६६१ | ३१७३० | ३९६६ |
| ४ | (०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११) | | | |
| | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) | १२१११ | ६७८२ | ८४७ |
| | एकूण (०१) (०५) | १२१११ | ६७८२ | ८४७ |
| | एकूण (०१) | ६८७७२ | ३८५१२ | ४८१३ |
| ५ | ०२, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान | | | |
| | (०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५-३०४१) | | | |
| | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) | १७३३९० | ९७०९८ | १२१३७ |
| | एकूण (०२) (०३) | १७३३९० | ९७०९८ | १२१३७ |
| ६ | (०२) (०४) महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) | | | |
| | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) | १८४०० | १०३०४ | १२८८ |
| | एकूण (०२) (०४) | १८४०० | १०३०४ | १२८८ |
| | एकूण (०२) | १९१७९० | १०७४०२ | १३४२५ |
| | एकूण १०२ | २६०५६२ | १४५९१४ | १८२३८ |
| ७ | १०३, महिला कल्याण | | | |
| | (०१) महिला कल्याण योजना (०१) (०१) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) (२२३५-१२५४) | | | |
| | ०१, वेतन | १६०००० | ८९६०० | ११२०० |
| | एकूण (०१) (०१) | १६०००० | ८९६०० | ११२०० |
| ८ | (११) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान | | | |
| | (११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) (२२३५-२१६१) | | | |

| अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पीय तरतुद | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित वितरण |
|--------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| | ०४, निवृत्तीवेतन विषयक खर्च | २०४६७ | ११४६१ | १४३३ |
| | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) | ५४४४८ | ३०४९० | ३८१२ |
| | एकूण (११) (०१) | ७४९१५ | ४१९५१ | ५२४५ |
| ९ | (२३) संरक्षण अधिकारी | | | |
| | (२३) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७) | | | |
| | ०१, वेतन | ३००००० | १६८००० | २१००० |
| | एकूण (२३) (०१) | ३००००० | १६८००० | २१००० |
| | एकूण १०३ | ५३४९१५ | २९९५५१ | ३७४४५ |
| १० | १०४, वृद्ध, विकलांग व निराश्रित व्यक्तींचे कल्याण | | | |
| | (०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) | | | |
| | ०१, वेतन | १९३६५० | १०८४४४ | १३५५५ |
| | एकूण (०१) (०१) | १९३६५० | १०८४४४ | १३५५५ |
| | एकूण १०४ | १९३६५० | १०८४४४ | १३५५५ |
| | एकूण ०२, समाज कल्याण | १६३४४०६ | ९१५२६५ | ११४४०७ |
| | एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) | १६३४४०६ | ९१५२६५ | ११४४०७ |

२. लेखाशिर्ष २२३५ बी९४२ या लेखाशिर्षाखालील निधीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर (DDO क्र.७१०१०१५७१२) हे आहरण व संवितरण अधिकारी तथा नियंत्रक अधिकारी असतील. तसेच उर्वरीत लेखाशिर्षाखाली (लेखाशिर्ष २२३५ बी९४२ वगळून) वितरित केलेल्या निधीसाठी आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे हे नियंत्रक अधिकारी असतील.

३. या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी व सर्व अटी/ शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहिल.

४. सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीखाली यापूर्वी वितरीत अनुदानाचा विनियोग पुर्ण झालेला असल्याबाबत नियंत्रक अधिकारी यांनी खात्री करावी त्याचप्रमाणे याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. यापूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाची तसेच या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल.

५. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०७. एप्रिल, २०२५ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५१०३०११३२३६५२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(सुनिल सरदार)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई
३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई
४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरली, मुंबई
५. उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे
६. उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे
७. सर्व विभागीय उपायुक्त (महिला व बाल विकास)
८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी
९. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई
१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१७. निवड नस्ती, का-०४